न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक निग–3409–पी–16 /2016 जिला–छतरपुर

बाबू तनय बल्दू काछी, निवासी– ग्राम राजपुर तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

लल्तू तनय टुइयां ढीमर, निवासी– ग्राम राजपुर तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री ... द्वारा आज दि 30-9-16 को प्रस्तुत

न्यायालय नायब तहसीलदार, मण्डल चन्द्रनगर, द्वारा प्रकरण क्रमांक 2/अ–70/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार प्रभारी क्षेत्र चन्द्रनगर तहसील राजनगर के समक्ष इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम राजपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1468, 1769, 1470, 1471, 1472 रकवा क्रमशः 0.065, 0.275, 0.243, 1.069, 1.489 हेक्टेयर का खाता राजस्व अभिलेख में उसके व उसके भाई घनश्याम अनारी के नाम से भूमि स्वामी स्वत्व पर अंकित है इसमें भूमि खसरा नं. 1473 एवं 1486 का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र बाबू पुत्र बल्दू कुशवाह द्वारा दिया गया था। जिसके आधार पर प्रकरण क्रमांक 35/अ–12/06–07 पारित आदेश दिनांक 31.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी3409—एक/2016 जिला छतरपुर

बाबू विरूद्ध लल्तू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-02-2019	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार मण्डल चन्द्रनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 2/अ—70/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 27—8—2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। पक्षकार दिनांक 15—4—2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 20/02/2019	